न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या :, 46/2019

आरसीएमएस नम्बर– 2019/00115

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
किरण कागट, सरपंच ग्राम पंचायत चण्डावल नगर तहसील सोजत जिला पाली	1	श्री धार्मिक सत्कार्य संचालन समिति, चण्डावल जरिये अध्यक्ष तहसील सोजत जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. श्री राजेन्द्रसिंह राव पुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

--: निर्णय :–

दिनांक 30/09/19

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत चण्डावल नगर द्वारा मिसल संख्या 34/1995–96 में पारित प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 25.09.1997 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 16 दिनांक 09.07.1998 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता हैं। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में सरपंच हैं। अप्रार्थी द्वारा तत्कालीन सरपंच से मिलावट करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करवाया है, जो विधि विरूद्ध हैं। जैर निगरानी विवादित आराजी सार्वजनिक भूमि है, जिसका व्यक्ति विशेष के नाम पट्टा जारी किया गया हैं, जो विधि विरूद्ध हैं। विवादित भूमि के मौके पर अप्रार्थी का किसी भी रूप में कब्जा नहीं हैं, गलत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत नहीं हैं। जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, उसमें पंचायती राज नियम 1996 के किसी भी प्रावधान की पालना नहीं की गई हैं। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच के समक्ष एक आवेदन पत्र दिनांक 17.12.1995 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 के पास ग्राम की आबादी भूमि में श्री थानेश्वर शिवालय निर्मित है। इस शिवालय की हद की भूमि पर हनुमान मन्दिर, श्री सत्यनारायण मन्दिर, अम्बे मां मन्दिर, भैरव मन्दिर, भोजनशाला, कुंआ, बाल वाचनालय, प्याऊ, शीतला माता मन्दिर कॉलोनी व विश्राम गृह बने हुए है। इस पूरी भूमि का पट्टा जारी कराने का निवेदन किया। चूंकि आवेदन पत्र के अनुरूप ही उक्त भूमि सार्वजनिक भूमि थी, जिसे किसी व्यक्ति

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अथवा संस्था विशेष के पक्ष में पट्टा जारी नहीं किया जा सकता था। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है, जबकि उक्त संस्था/समिति कभी भी अस्तित्व में नहीं थी। ग्राम पंचायत द्वारा समस्त प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो कायम रखे जाने योग्य नहीं हैं। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा तथा उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि धार्मिक सत्कार्य संचालन समिति, चण्डावल नगर द्वारा जरिये अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आबादी भूमि में शिवालय की हद की भूमि पर हनुमान मन्दिर, श्री सत्यनारायण मन्दिर, अम्बे मां मन्दिर, भैरव मन्दिर, भोजनशाला, कुंआ, बाल वाचनालय, प्याऊ, शीतला माता मन्दिर कॉलोनी व विश्राम गृह का पट्टा समिति के नाम से जारी कराने का निवेदन किया। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 34/1995–96 कायम करते हुए रजिस्ट्री अनुसार नक्शा एवं मौका निरीक्षण के आदेश पारित किए गए। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि जिस रजिस्ट्री का जिक्र पंचायत के आदेश दिनांक 25.12.1995 में किया गया है, उस रजिस्ट्री के अनुसार मुस्मात् सजनकंवर बेवा ठाकुर गोविन्दसिह जाति राजपूत द्वारा वासुदेवजी महाराज व समस्त ग्राम वासियान चण्डावल के पक्ष में निष्पादित की गई है, जिसके हक हकूक उक्त समिति में किस आधार पर समाहित हुए, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा के जरिये अप्रार्थी समिति के पक्ष में पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए, जो विधि विरूद्ध हैं, क्योंकि समिति के पक्ष में उक्त भूमि को लेकर किसी प्रकार का स्वत्व का दस्तावेज ही नहीं था, जो पट्टा जारी कराने में सहायक सिद्ध हो सके। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी समिति के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया हैं, जो विधि विरूद्ध होने से किसी भी रूप में कायम रखे जाने योग्य नहीं हैं।

परिणाम स्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती हैं तथा पंचायत चण्डावल नगर द्वारा मिसल संख्या 34/1995–96 में पारित प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 25.09.1997 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 16 दिनांक 09.07.1998 को अपास्त किया जाता हैं। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि ग्राम पंचायत चण्डावल नगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 30/09/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली